

राजस्थान सरकार
निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग,
खनिज भवन, उदयपुर – 313001 दूरभाष : 2415091-95

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI XVIII)/2024/ई-09507

Corrigendum-2

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 29.12.2024 एवं शासन की अधिसूचना दिनांक 03.01.2025 की पालना में निदेशालय द्वारा जारी नीलामी विज्ञप्तियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI XVII)/2024/ई-09120 दिनांक: 17.12.2024 के क्रम संख्या 07 पर एवं विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI XVIII)/2024/ई-09507 दिनांक: 17.12.2024 के क्रम संख्या 03, 04, तथा विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI XIX)/2024/ई-09521 दिनांक: 18.12.2024 के क्रम संख्या 03, 04, 05, 06 पर वर्णित प्लॉट के कॉलम संख्या 06 में अधिसूचना अनुसार जिला **शाहपुरा** के स्थान पर **भीलवाड़ा** संशोधित किया जाता है।
2. विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI XVII)/2024/ई-09120 दिनांक: 17.12.2024, (ML BAJRI XVIII)/2024/ई-09507 दिनांक: 17.12.2024, (ML BAJRI XIX)/2024/ई-09521 दिनांक: 18.12.2024, (ML BAJRI XX)/2024/ई-09529 दिनांक: 18.12.2024 एवं (ML BAJRI XXI)/2024/ई-09533 दिनांक: 18.12.2024, में अंकित "(अ) महत्वपूर्ण बिन्दू" के बिन्दू संख्या 1 के पश्चात निम्नानुसार बिन्दू संख्या **1 ए** जोड़ा जाता है:-
1ए- "ई-नीलामी में प्रस्तुत बोली राशि 30 करोड से अधिक होने पर बिड प्रतिभूति राशि प्रस्तुत बोली राशि की 25 प्रतिशत जमा करवानी होगी।"
4. विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI XVII)/2024/ई-09120 दिनांक: 17.12.2024, (ML BAJRI XVIII)/2024/ई-09507 दिनांक: 17.12.2024, (ML BAJRI XIX)/2024/ई-09521 दिनांक: 18.12.2024, (ML BAJRI XX)/2024/ई-09529 दिनांक: 18.12.2024 एवं (ML BAJRI XXI)/2024/ई-09533



दिनांक: 18.12.2024 उक्त विज्ञप्तियों की शर्त (स) के बिन्दू संख्या 10(i) निम्नानुसार संशोधित की जाती है:-

“बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उनके जॉइन्ट इन्टरेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेन्स धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता/ कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र (राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के संशोधित नियम 85 के प्रावधान अनुसार) प्रस्तुत होने पर ही मान्य होंगे।”

6. विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI XVII)/2024/ई-09120 दिनांक: 17.12.2024, (ML BAJRI XVIII)/2024/ई-09507 दिनांक: 17.12.2024, (ML BAJRI XIX)/2024/ई-09521 दिनांक: 18.12.2024, (ML BAJRI XX)/2024/ई-09529 दिनांक: 18.12.2024 एवं (ML BAJRI XXI)/2024/ई-09533 दिनांक: 18.12.2024 उक्त विज्ञप्तियों की शर्त (स) के बिन्दू संख्या 11 निम्नानुसार संशोधित की जाती है:-

“यदि सफल बोलीदाता द्वारा नियम 14(10) अनुसार पूर्तियां निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्रथम किस्त की संपूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो सफल बोलीदाता उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ आगामी 15 दिवस की अवधि पालना हेतु स्वतः बढी हुई मानते हुये आवश्यक पूर्तिया कर सकेगा। नियमानुसार उपरोक्त समयावधि में प्रथम किस्त की सम्पूर्ण राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराने पर जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये सफल बोलीदाता को आगामी पाँच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जावेगा।”

(भगवती प्रसाद)आई.ए.एस.
निदेशक

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI XVIII)/2024/ई-09507

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शाखा प्रबंधक, एमएसटीसी लि0, जयपुर को भेजकर लेख है कि तत्काल वेबसाईट पर प्रकाशन करा सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अपने स्तर से तत्काल सूचित करावें।

2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के. का., उदयपुर को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन।
4. समस्त अधीक्षण खनि अभियंता।
5. समस्त खनि अभियन्ता।
6. समस्त सहायक खनि अभियन्ता।
7. निदेशालय ई-फाईल क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML BAJRI XVII)/2024/ई-09120 (ML BAJRI XIX)/2024/ई-09521 (ML BAJRI XX)/2024/ई-09529 एवं (ML BAJRI XXI)/2024/ई-09533 में रेकार्ड संधारण हेतु।

निदेशक